UPMI010033222026

न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1169/2026</u>

अजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा, निवासी वार्ड नं०-24, चौक बाजार, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

बनाम

उ 0 प्र 0 सरकार

मु0 अ 0 सं0-**134** सन् **2026**
धारा-303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना-अदलहाट, जिला-मीरजापुर।

अभियुक्त की ओर से- श्री अमित कुमार पाण्डेय (अधिवक्ता)
अभियोजन की ओर से- श्री आलोक कुमार राय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः-24.06.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार विश्वकर्मा की ओर से मु0 अ 0 सं0-134 सन् 2026, धारा-303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना अदलहाट, जिला मीरजापुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है। इस जमानत प्रार्थना-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादी मुकदमा अनिल कुमार जायसवाल द्वारा दिनांक 03.06.2026 को थाना अदलहाट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि दिनांक 02.06.2026, दिनांक 03.06.2026 को रात्रि में उसकी गाड़ी UP 64 AT 9590 सोनी प्रे० पम्प के पास पप्पू इंजन गैरेज मिस्त्री गैरेज में इंजन कार्य कराने हेतु खड़ी थी कि रात्रि में उसकी एक बैट्री एक्साईड ड्राईव, दूसरी बैट्री पावर जोन नारंगी कल की लगी हुई थी, जिसे उन लोगों ने चोरी कर लिया है। सुबह आने पर पता चला तो उन लोगों ने काफी छानबीन की, परन्तु कोई सुराग नहीं मिला।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि अभियोजन द्वारा प्रार्थी को विधि-विरुद्ध तरीके से फर्जी और निराधार व कपोलकल्पित मिथ्या तथ्यों के आधार पर अज्ञात अभियोग में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। सत्य यह है कि प्रार्थी की कबाड़ी की दुकान है, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा कई बार मासिक नाजायज धनराशि की उगाही/मांग की बात कही गयी, जिस पर प्रार्थी द्वारा घोर आपत्ति करते हुए नाजायज मांग को मानने से पूर्णतः इन्कार कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन के नाजायज मांग को मानने से इन्कार करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी निराधार बरामदगी दिखाकर रंजिशन मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी का कभी किसी गिरोह या संगठन से वास्ता सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 07.06.2026 से जिला कारागार, मीरजापुर में निरुद्ध है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि सह-अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के वाहन संख्या UP 64 AT 9590 से दो बैट्री चुराई गयी है, जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाय।

6. जमानत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य रूप से वादी मुकदमा के वाहन से चुराई गयी बैट्री को अभ्यासतः प्राप्त किये जाने का अभियोग लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्तर्निहित तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण अज्ञात में दर्ज कराया गया है। स्थानीय थाने द्वारा प्रेषित प्रस्तरवार आख्या से साथ संलग्न प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या-3 में अंकित फर्द बरामदगी के विवरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त को फर्द बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत मामले में आलिप्त किया गया है। स्वीकृततः फर्द बरामदगी के सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं, अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की स्थिति में साक्षीगण को प्रभावित किये जाने की कोई सम्भावना व्याप्त नहीं है। स्थानीय थाने द्वारा प्रेषित प्रस्तरवार आख्या के साथ संलग्न सी०सी०टी०एन०एस० रिपोर्ट के अनुसार हस्तगत मामले के अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.06.2026 से जिला

कारागार, मीरजापुर में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/-रू0 (पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः-

1. विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा एवं विलम्ब कारित नहीं करेगा।
2. न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में संप्रेक्षण, यदि कोई हो तो, मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे संप्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से किये गये हैं।

दिनांक-24.06.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।